

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त यह सम्बन्ध कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये व कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूरे में पर उपरोक्त नुमा हो तो पर सम्बन्धित एवं विनाम अक्षर लिखा जाये विवरण संकेत हो।



आम : प्रौद्योगिकी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक/फ./सम्बद्धता/2012/ 5887

दिनांक: 11/01/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्धित पाठ्यक्रम नियन्त्रण महाविद्यालय, सिन्ध (07534-240055) को उक्त 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संशोधित एम.एड., पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों को अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत विद्यमान निरीक्षण समिति का गठन किया है :-


- (1) प्रो. विवेक बापट, प्राचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442822)
- (2) डॉ. रेणु शीताराम, प्राचार्य, बोरटन महाविद्यालय, ग्वालियर।
- (3) डॉ. हेमन्त शर्मा, उपप्राचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति को सदस्यों ने अनुरोध है कि वे परिचय 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, महोदय राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, शौचालय परिसर एवं पाठ्यक्रम/अभियंता तथा पिछले सत्र में बी ग्रेड शर्तों की पूर्ति मूल प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधान अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 दिसम्बर 2012 के पर क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

अद्य के 15 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्गेंटण्ड जमा करवाकर ज्वीस समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों की पी.ए. / डी.ए. / मजदूर महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों को और सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबन्धित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावे। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के राशि / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)